



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 337 राँची, सोमवार,

25 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

14 जून, 2022

विषय: “घुनिया (कैबर्त)” जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-11 पर दर्ज “केवर्त, माहिस्व” के बाद दर्ज करने के संबंध में ।

संख्या-14/जा०नि०-03-19-/2018 का.-3626--झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 में संधारित तथा समय-समय पर यथासंशोधित अत्यन्त पिछड़े वर्गों के सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-11 पर “केवर्त, माहिस्व (Mahisya)” समाविष्ट है ।

2. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम 2002 की धारा-9 (1) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन में “घुनिया (कैबर्त)” जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-11 पर दर्ज “केवर्त, माहिस्व” के बाद शामिल किये जाने की सलाह निम्नवत् दी गयी है:-

“आयोग की खण्डपीठ, प्रश्नावली तथा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संग्रहीत, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति की सूचनाओं, तथ्यों एवं गवाहों के बयानों तथा स्थानीय पदाधिकारियों के बयानों को देखते हुए आयोग राज्य सरकार को यह सलाह/परामर्श देती है कि घुनिया (कैबर्त) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-I) के क्रमांक-11 पर दर्ज केवर्त, माहिस्स जाति के बाद जाति घुनिया (कैबर्त) को समावेशित किया जाय।”

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि “घुनिया (कैबर्त)” जाति अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में सम्मिलित करने के योग्य है। अतः “घुनिया (कैबर्त)” जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-11 पर दर्ज “केवर्त, माहिस्स (Mahisya)” के बाद निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है:

<u>क्रमांक</u>	<u>वर्तमान प्रविष्टि</u>	<u>संशोधित प्रविष्टि</u>
11	केवर्त, माहिस्स (Mahisya)	केवर्त, माहिस्स, घुनिया (कैबर्त)

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
